भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2402
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 4 अगस्त, 2025
13 श्रावण, 1947 (शक)

सरकार द्वारा संचालित उत्खनन कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकना

2402. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के कर्मचारियों का स्थानांतरण बिना परामर्श के किया गया जिससे कीझाड़ी के वैज्ञानिक उत्खनन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई और लोक विश्वास कम हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा एएसआई के अंतर्गत पुरातात्विक निरंतरता और कालनिर्धारण की विश्वसनीयता बनाए - रखने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को दिए गए आश्वासनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संगम काल के अनुसंधान को मान्य और संरक्षित करने के लिए एएसआई के अलावा अंतरसरकारी - विशेषज्ञ पैनल या विरासत निकाय गठित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा संचालित उत्खनन कार्य को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखने के लिए मौजूदा या प्रस्तावित विधायी उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): जी, नहीं।

(ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार को पुरातात्विक निरंतरता और काल-निर्धारण विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातात्विक निरंतरता और काल-निर्धारण विश्वसनीयता बनाए रखता है।

(ग): संगम कालीन अनुसंधान को मान्य बनाने और संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अलावा किसी अन्य विशेषज्ञ समूह या धरोहर निकाय का गठन नहीं किया गया है।

(घ): देश भर में उत्खनन का कार्य प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुरूप अपने-अपने राज्य विधान बनाए हैं।

*****